

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

8/2/17

प्रावली केय उई। वकील केय केवो उवण। वकील
नवीलान्त व नवीलान्त के बार-2 काबाज लगाई गई
नवीलान्त नसावतन स्वम. वनावतन उपस्थित नही है।
प्रावली का नवीलान्त केय गणा, प्रावली के नवीलान्त
के स्वम है कि नवीलान्त ने केवो संख्या 4 न 5
के सही फते के रेजिस्टर्ड डडी नोडिस। तबवना
नोडिस तक प्रस्तुत नही किया है।

नोडिस काबाज न्यायालय के समक्ष
समाप्त होने पर 5 PM पर लगावई गई, नवीलान्त
उवं नवीलान्त के का कोई वकील उपण नही।
इससे प्रतीत होता है कि नवीलान्त उक्त नवीलान्त के
नोडिस पबलिक का इच्छुक नही है। इस कारण
प्रावली नदम दाजरी, नदम पेशी, व नदम
तकमिल से आविज किया जाना योग्य है।

नतः नवीलान्त नवीलान्त नदम दाजरी, नदम
पेशी व नदम तकमिल से आविज की जाती है।
प्रावली केसल शुभार धानी जाकर संख्या से फत हो
भवन बाद तकमिल दखिल दफतर हो।

नोडिस काज दिनांक 8/2/17 को सेरे इजाजत सुनाया
गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर